अनुदान संख्या 64 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 64–MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2023,02,00	2023,04,00	1687,97,29	–335,06,71
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				318,18,51
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		10,43,00	2,89,20	–7,53,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,68,19

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	17590.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–17590.00			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	182348.00	168416.94	166717.24	–1699.70
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–13933.06			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1610.00	1281.55	1327.90	+46.35
पु.	R.	-328.45			

(I) 18792.00 लाख रु. का प्रावधान अट्ठाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 18240.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552''-

(क) ''ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग'' -

(i) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन''- 210.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाभ पाने वालों से अल्प प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण थे।

(ii) ''नारियल रेशा बोर्ड'' - 170.00 लाख रु.;

(ख) ''ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग'' -

(i) ''खादी उद्योग'' - 1255.00 लाख रु.;

(ii) ''ग्राम उद्योग'' - 450.00 लाख रु.;

(ग) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग'' -

(I) Provision of Rs.18792.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty eight heads; of these Rs.18240.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Village and Small Industries – Coir Industries" –

(i) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry"– Rs.210.00 lakhs – due to poor response from the beneficiaries in North Eastern Region.

(ii) "Coir Board" – Rs.170.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" –

(i) "Khadi Industries" – Rs.1255.00 lakhs;

(ii) "Village Industries" – Rs.450.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries – Other Village Industries" –

(i) ''पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम'' - 210.00 लाख रु;

(ii) ''प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'' - 8425.00 लाख रु.;

(iii) ''खादी सुधार विकास पैकेज एशियाई विकास बैंक सहायता स्कीम'' - 960.00 लाख रु;

(घ) ''ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योंग''-

(i) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 250.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम'' - 1200.00 लाख रु.;

(iii) ''संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम'' - 500.00 लाख रु.;

(iv) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ'' - 300.00 लाख रु.;

(v) ''ऋण सहायता कार्यक्रम''- 3210.00 लाख रु.; और

(ड.) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं /स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना - एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई

(i) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" – Rs.210.00 lakhs;

(ii) "Prime Minister's Employment Generation Programme" – Rs.8425.00 lakhs;

(iii) "Khadi Reform Development Package ADB Assistance Scheme" – Rs.960.00 lakhs;

(d) "Village and Small Industries – Small Scale Industries" –

(i) "National Small Industries Corporation Limited" – Rs.250.00 lakhs;

(ii) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – Rs.1200.00 lakhs;

(iii) "Promotional Service Institutions and Programmes" – Rs.500.00 lakhs;

(iv) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" – Rs.300.00 lakhs;

(v) "Credit Support Programme" – Rs.3210.00 lakhs; and

(e) "Village and Small Industries – Other Expenditure – Training Institutions" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2851" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Caste – MSME Cluster Development

विकास स्तंभ - अनुसूचित जाति उप योजना'' - 600.00 लाख रु.; और

(ख) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना - एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - जनजाति उप योजना'' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - एस और टी योजना लागू किए जाने के लिए प्रावधान'' - 320.00 लाख रु.की बचत (1060.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्थान और कार्यक्रम'' - 2550.76 लाख रु. की बचत (दिसम्बर,2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 23921.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कुछ स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ'' - 145.44 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी अपेक्षाएं पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''विपणन विकास सहायता कार्यक्रम'' - 522.07 लाख रु. की बचत (960.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Programmes and MSME Growth Poles – SC Sub Plan" – Rs.600.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub Plan – MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles – Tribal Sub Plan" – Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development – Provision for implementation of S & T Plan" – saving of Rs.320.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1060.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(B) "Small Scale Industries" –

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – saving of Rs.2550.76 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.23921.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2009) was due to non-approval of some of the National Common Minimum Programme Schemes and receipt of less number of proposals.

(b) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" – saving of Rs.145.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non-completion of requirements for setting up of the common facility centres by the State Governments.

(c) "Marketing Development Assistance Programme" – saving of Rs.522.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.960.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(घ) ''आंकड़ा आधार का उन्नयन'' - 193.61 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - 535.00 लाख रु. की बचत (1403.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभ पाने वालों से अल्प प्रक्रिया प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य ग्राम उद्योग'' -

(क) ''पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम'' - 174.00 लाख रु. की बचत (1096.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडीय अभिकरणों के लिए प्रथम बार सामूहिक विकास की संकल्पना लागू किए जाने की वजह से व्यय की गति धीमी होने के कारण हुई।

(ख) ''खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम'' - 346.00 लाख रु. की बचत (609.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''वर्तमान खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' - 163.50 लाख रु. की बचत (374.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(घ) ''प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'' - 13812.00 लाख रु. की बचत (54780.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध होने, जिला स्तरीय

(d) "Upgradation of Data Base" – saving of Rs.193.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to lack of demand from State/Union Territories owing to administrative reasons.

(C) "Coir Industries – Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – saving of Rs.535.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1403.00 lakhs) was due to poor response from the beneficiaries.

(D) "Other Village Industries" –

(a) "Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries" – saving of Rs.174.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1096.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure owing to introduction of the concept of cluster development for the first time for nodal agencies.

(b) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans" – saving of Rs.346.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.609.00 lakhs); and

(c) "Strengthening of Infrastructure of existing weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure" – saving of Rs.163.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.374.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(d) "Prime Minister's Employment Generation Programme" – saving of Rs.13812.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.54780.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with implementing

कार्य बल समिति की बैठक आयोजित करने, बैंकों द्वारा ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने और वित्तीयन शाखाओं की मार्जिन राशि के दावों का निपटान किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ङ) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना''-

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम अनुसूचित जाति उप योजना'' - 393.16 लाख रु. की बचत (1675.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ऋण सहायता कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना'' - 450.00 लाख रु. की बचत (5350.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना'' - 3551.00 लाख रु. की बचत (12345.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जनजातियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और जिला स्तरीय कार्य बल समिति की बैठक आयोजित करने, बैंकों द्वारा ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने और वित्तीयन शाखाओं की मार्जिन राशि के दावों का निपटान किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(घ) ''नारियल रेशा उद्योगका नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - अनुसूचित जाति उप योजना'' - 247.35 लाख रु. की बचत (315.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभ पाने वालों से अल्प प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण हुई।

(चा) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना'' -

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम - जनजाति उप योजना'' - 533.59 लाख रु. की बचत

agencies, delay in holding District Level Task Force Committee's meeting, in taking credit decision by banks and in settling margin money claims of financing branches.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Caste" –

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme – SC Sub Plan" – saving of Rs.393.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1675.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals.

(b) "Credit Support Programme – SC Sub Plan" – saving of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5350.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(c) "Prime Minister's Employment Generation Programme-SC Sub Plan" – saving of Rs.3551.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12345.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Scheduled Tribes and delay in holding District Level Task Force Committee's meeting, in taking credit decision by banks and in settling margin money claims of financing branches.

(d) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry – SC Sub Plan" – saving of Rs.247.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.315.00 lakhs) was due to poor response from the beneficiaries.

(F) "Tribal Area Sub Plan" –

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme- Tribal Sub Plan" – saving of Rs.533.59 lakhs (against the sanctioned

(805.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजाति समूहों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''ऋण सहायता कार्यक्रम - जनजाति उप योजना'' - 200.00 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जनजातियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - जनजाति उप योजना''- 1941.00 लाख रु. की बचत (6750.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला स्तरीय कार्य बल समिति की बैठक आयोजित किए जाने, बैंकों द्वारा ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने और वित्तीयन शाखाओं की मार्जिन राशि के दावों का निपटान किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(घ) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन जनजाति उप योजना'' - 135.02 लाख रु. की बचत (172.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभ पाने वालों से अल्प प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण हुई।

(छा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''प्रशिक्षण संस्थाएं'' - 256.97 लाख रु. की बचत (995.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना'' - 317.15 लाख रु. की बचत (338.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग - आंकड़ा आधार का उन्नयन - राज्य सरकार'' के अंतर्गत 282.10 लाख रु. की बचत (1610.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

provision of Rs.805.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Tribal groups.

(b) "Credit Support Programme – Tribal Sub Plan" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Scheduled Tribes.

(c) "Prime Minister's Employment Generation Programme - Tribal Sub Plan" – saving of Rs.1941.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6750.00 lakhs) was due to delay in holding District Level Task Force Committee's meetings, in taking credit decision by banks and in settling margin money claims of financing branches.

(d) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry – Tribal Sub Plan" – saving of Rs.135.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.172.00 lakhs) was due to poor response from the beneficiaries.

(G) "Other Expenditure" –

(a) "Training Institutions" – saving of Rs.256.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.995.00 lakhs) was due to requirement of less funds for training institutions.

(b) "Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana" – saving of Rs.317.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.338.00 lakhs) was due to less demand under the scheme.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Village and Small Industries-Small Scale Industries - Upgradation of Data Base-State Government" – saving of Rs.282.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1610.00 lakhs) was due to less demand from State Governments.

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत 297.06 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under four heads savings of Rs.297.06 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 28 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10028.94 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''लघु उद्योग''-

(क) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 1858.00 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 1858.20 लाख रु. था।

(ख) ''संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम'' - 1476.72 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 971.49 लाख रु. था।

(खा) ''खादी और ग्राम उद्योग - खादी और ग्रामोद्योग आयोग'' - 6694.22 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6692.99 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''लघु उद्योग - ऋण सहायता कार्यक्रम'' - 2391.64 लाख रु. का अधिक व्यय (3140.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''खादी और ग्राम उद्योग - खादी सुधार विकास पैकेज (एशियाई विकास बैंक सहायता)'' - 960.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6413.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

2.(I) The above savings were partly (Rs.10028.94 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in December, 2009 under Major Head "2851" – under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" –

(a) "National Small Industries Corporation Limited" – Rs.1858.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1858.20 lakhs.

(b) "Promotional Service Institutions and Programmes" – Rs.1476.72 lakhs. Actual excess, however, was Rs.971.49 lakhs.

(B) "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission" – Rs.6694.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6692.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" – under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries – Credit Support Programme" – excess of Rs.2391.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3140.00 lakhs); and

(B) "Khadi and Village Industries – Khadi Reform Development Package (ADB Assistance)" – excess of Rs.960.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6413.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on

उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	550.00		316.81	144.20	–172.61
पु.	R.	–233.19				
मुख्य शीर्ष "6552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas					
मू.	O.	300.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–300.00				

(I) 350.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "6552'' - "ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी के विकास के लिए कर्ज'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.350.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loan for Village and Small Industries – Khadi and Village Industries – Loans for Development of Khadi" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - अन्य व्यय - कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम और लघु उद्योग'' के अंतर्गत 405.80 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों और विकास संस्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Construction of Office Accommodation – Village and Small Industries" – saving of Rs.405.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department at some Testing Centres and Development Institutes of Micro, Small and Medium Enterprises.